FIVE RUPEES

न्यायालय समक्ष श्रीमान सदस्य, राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर, कैम्प सागर ।

R-1716-II/2004

श्रीमति सरोजरानी विधवा मुलायमचन्द जैन
पेशा काश्तकारी, साकिन मैनवार, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह,
=====================। रिस्पा0। आवेदिका

बनाम

।1। उत्तमचन्द वल्द बाबूलाल जैन,
।2। श्रीमति कुमतरानी विधवा लक्ष्मीचन्द जैन,
साकिनान मैनवार, तहसील बटियागढ़ जिला दमोह
=========== ।अपी0। अनावेदकगण

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक /04, 05

पुनरीक्षण तरफ से रिस्पा0 आवेदिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 लेण्ड रेवेन्यू कोड 1959 ,

रिस्पा0-आवेदिका आदेश दिनांक 20-8-04 पारित द्वारा श्रीमान एडीशनल कमिश्नर, सागर संभाग सागर, ।उत्तमचन्द एवं श्रीमति कुमतरानी बनाम श्रीमति सरोजरानी । ता0 फैसला 20-8-04 जिसके द्वारा विद्वान एडीशनल कमिश्नर सागर संभाग सागर समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों ।Concurrent findings of facts। को निरस्त करते हुए प्रथम राजस्व अपील नं 28अ/27 सन् 2000, 2001 अदालत श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हटा ।उत्तमचन्द एवं अन्य बनाम श्रीमति सरोज रानी । ता0 फैसला 11-9-01 एवं मूल राजस्व प्रकरण क्रमांक 1अ/27 सन् 2000 2001 अदालत श्रीमान नायब तह0 बटियागढ़ । श्रीमति सरोजरानी बनाम उत्तम चन्द एवं अन्य । ता0 फैसला 6-12-2000 के।Concurrent orders। रद्द कर दिया व प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया के विरुद्ध अनन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करती है ।

।1। यह कि प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20-8-04 का सर्वथा गैरकानूनी, अनुचित एवं निराधार है तथा वह निरस्त किया जाकर अधिनस्थ दोनों न्यायालयों याने एस0 डी0 ओ0 हटा तथा ना0 तह0 बटियागढ़ के समवर्ती निष्कर्ष ।Concurrent findings of both the lower courts। को स्थिर रखे जाने योग्य है ।

।2। यह कि माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्षों को द्वितीय अपील में न्यायालय को निरस्त नहीं करना चाहिए । यह सिद्धांत रा0 नि0 1984 पेज 36, 343 250 रेंनि0 1982 पेज 142, 263, 413, रे0 नि0 1990 पेज 139, 1987 रे0

R-1716-II/04
[illegible]

25.7.16 : आवेदक श्री प्रकाश [illegible] [illegible] पत्र ... आवेदक [illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ... [illegible] Regd डाक से सूचना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

प्रकरण में आवेदक की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पेशी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो।

पक्षकार सूचित हों।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[signature]
[illegible]

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म—17-6-2015—5,000.